

कुलसचिव कार्यालय

सं. मानू/ईआर-I(बी)/एफ.293/2025-26/2073

दिनांक : 18 दिसंबर, 2025

अधिसूचना

विषय : मानू – ईआर-I अनुभाग – आंतरिक शिकायत समिति(आईसीसी) के पुनर्गठन के संबंध में।

संदर्भ : 1. अधिसूचना एफ.सं. मानू/ईआर-I(बी)/293/22-23/951 दिनांक : 02.11.2022

2. दिनांक 18.12.2025 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध) विनियम, 2015, के अनुच्छेद 4 के अनुसार, जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.91-1/2013(टीएफजीएस) दिनांक 02.05.2016 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ, यूनिवर्सिटी का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का तत्काल प्रभाव से इस प्रकार पुनर्गठन किया गया है :-

1.	पीठासीन अधिकारी(अध्यक्ष) जो कि महिला संकाय सदस्य होगी	प्रो.वी.एस.सुमी प्रोफेसर, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केन्द्र(सीडीओई)
		सदस्य
2.	दो संकाय सदस्य	1. डॉ.फिरदौस तबस्सुम सहायक प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग 2. निदा यासमीन सहायक प्रोफेसर, पॉलीटेकनीक, हैदराबाद
3.	दो गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	1. डॉ.शगुफ़ता परवीन हिन्दी अधिकारों 2. श्री.इरफ़ान आलम सहायक कुलसचिव, योजना व विकास अनुभाग तथा सदस्य सचिव
4.	गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी सभी में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो	फ़रज़ाना खान कार्यक्रम प्रबंधक शांतिदूत माई चोइस फाउंडेशन
5.	तीन छात्र, यदि मामला ऐसे छात्रों से जुड़ा है जो क्रमशः यूजी, निष्णात और शोध अध्येता स्तर पर नामांकित होंगे।	1. श्री. अबू तुराब एम.ए.अरबी, अरबी विभाग 2. अतिका बदर शोध अध्येता, अंग्रेजी विभाग 3. नाहेद अंजुम शोध अध्येता शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग

कुलसचिव कार्यालय

--2--

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक और नामित व्यक्ति, अगर नामित किया जाता है, तो वह आईसीसी में उतने समय के लिए रहेगा जितना यूनिवर्सिटी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

- आईसीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित कार्य करेगा।
- पीठासीन अधिकारी - अध्यक्ष और छात्रों को छोड़कर समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या अगले आदेश तक रहेगा। छात्र सदस्यों का कार्यकाल आईसीसी द्वारा कराए जाने वाले चुनाव के ज़रिए एक शैक्षणिक वर्ष का होगा।
- आईसीसी के बाह्य सदस्यों / नामित को समय-समय पर आईसीसी की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार टीए/डीए और बैठक भत्ता दिया जाएगा।

कुलसचिव

कुलसचिव & Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्छीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

प्रतिलिपि :

- अध्यक्ष एवं सदस्यों को (नाम से)
- सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, केन्द्रों के निदेशक, सैटलाइट कैम्पस लखनऊ और बड़गाम के निदेशक
- निदेशक सीडीओई / क्षेत्रीय केन्द्र / उप-क्षेत्रीय केन्द्र
- सीटीई / पॉलीटेक्नीक / आईटीआई/मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य
- सभी अनुभागों के अनुभाग अध्यक्ष एवं संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/क्षेत्रीय निदेशक/सहायक क्षेत्रीय निदेशक
- कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय
- प्रभारी निदेशक, सीआईटी - अधिसूचना के विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- जनसंपर्क अधिकारी एवं हिन्दी अधिकारी- उर्दू और हिन्दी अनुवाद हेतु
- संबंधित फाइल

प्रतिलिपि अग्रेषित की गई :-

- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लोट नं.21, जासोला, संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110 025- सूचनार्थ।